

फरक्का-कहलगाँव से जगमग होगा बिहार, तीन सरेंडर इकइयो से मिलेगी 159 मेगावाट बजिली

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2023 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने फरक्का और कहलगांव की उत्पादन इकाईयों से 24 घंटे 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति के संबंध में दायर बिजली कंपनियों की याचिका पर निर्णय देते हुए बिजली खरीद की अनुमति प्रदान की है।

प्रमुख बदु

- ऊर्जा मंत्रालय की पूर्वी क्षेत्र विद्युत समिति के आदेश पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने मुहर लगते हुए बिजली कंपनियों कप खरीद की मंज़ूरी दी है। यह बिजली केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा पहले से अनुमोदित दर पर उपलब्ध होगा।
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (तकनीकी) अरुण सिन्हा और सदस्य (विधि) पी एस यादव की बेंच ने इससे जुडी बिजली कंपनियों की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ताओं को फरक्का के स्टेज-वन और स्टेज-टू इकाई से 107.751 मेगावाट और एनटीपीसी की कहलगांव इकाई से 51.520 मेगावाट 24 घंटे उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली कंपनी ने एक महीने पहले ही फरक्का की दो और कहलगांव की एक इकाई से लगभग 850 मेगावाट बिजली सरेंडर की थी।
- देश के पूर्वी राज्यों की बिजली आपूर्ति नियंत्रित करने वाली संस्था ने बिहार की सरेंडर बिजली में से किसी अन्य राज्य को आवंटित नहीं हुयी 159 मेगावाट बिजली पुन: बिहार को उपलब्ध कराया है। इसके लिये एनटीपीसी एवं बिहार सरकार के मध्य समझौता हुआ है जिसमें सरेंडर की गई अनावंटित बिजली संबंधित राजय को ही उपयोग करना होता है।
- याचिका में बिजली कंपनियों ने बताया कि बरौनी स्टेज वन में निर्मित 110-110 मेगावाट की दो इकाईयाँ पिछले 14 महीनो से अनुबंधित मात्रा का केवल
 5 प्रतिशित ही आपूर्ति कर रही है। इस स्थिति में भविष्य में सुधार होने कि संभावना नहीं है जिससे बिजली में 'राउंड द क्लाक' के आधार पर करीब 200 मेगावाट की वर्ष भर कमी रह रही है।
- बजिली कंपनियों ने कहा कि 159 मेगावाट बिजिली की खरीद अनुमति मिलिने से बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से लगभग 200 मेगावाट की कमी को कम करने में सहायता मिलिगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/farakka-kahalgaon-will-illuminate-biha-159-mw-electricity-will-be-available-from-three-surrendered-units